

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

24 JUN 2011

क्रमांक प.10(35) नविवि/3/2010 पार्ट

दिनांक :-

विभिन्न शहरों के नगरीय क्षेत्र की परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की आबादी के 500 मी. की परिधि में स्थित निजी कृषि भूमि पर शैक्षणिक, चिकित्सा एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर निम्नानुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुये, भूमि रूपान्तरण/नियमन की कार्यवाही संबंधित न्यास/प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-


मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र (परिधि नियंत्रण पट्टी) में स्थित राजस्व ग्राम की आबादी से 500 मी. की परिधि क्षेत्र में आवासीय, शैक्षणिक, चिकित्सा, भू-उपयोग निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे :-

क्र. सं.	उपयोग	भूखण्ड क्षेत्रफल (न्यूनतम/अधिकतम)	भूखण्ड के सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (विद्यमान अथवा प्रस्तावित)
1.	नर्सरी स्कूल	न्यूनतम-500 वर्ग मीटर अधिकतम-1000 वर्ग मीटर	9.0 मीटर
2.	प्राइमरी स्कूल	न्यूनतम-750 वर्ग मीटर अधिकतम-1500 वर्ग मीटर	9.0 मीटर
3.	सैकण्डरी स्कूल	न्यूनतम-1000 वर्ग मीटर अधिकतम-5000 वर्ग मीटर	12.0 मीटर
4.	सीनियर सैकण्डरी स्कूल	न्यूनतम-1500 वर्ग मीटर अधिकतम-10,000 वर्ग मीटर	18.0 मीटर
5.	डिस्पेन्सरी	न्यूनतम-200 वर्ग मीटर अधिकतम-1500 वर्ग मीटर	9.0 मीटर
6.	नर्सिंग होम	न्यूनतम-750 वर्ग मीटर अधिकतम-10,000 वर्ग मीटर	12.0 मीटर
7.	हॉस्पिटल	न्यूनतम-1000 वर्ग मीटर अधिकतम-10,000 वर्ग मीटर	18 मीटर
8.	आवासीय	न्यूनतम-500 वर्ग मीटर अधिकतम-5.0 हैक्टेयर	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 अथवा जो भी प्रचलित हो के नियमानुसार

टिप्पणी :-

- (i) उक्त क्षेत्रफल शैक्षणिक सुविधा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्ड मान्य होंगे।
- (ii) उक्त भू-उपयोग कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने पर ही अनुज्ञेय होंगे तथा भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की आवश्यक नहीं होगी। यदि पूर्व में किसी भूमि/भूखण्ड का अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात लीज डीड जारी हो चुका है तो उक्त भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जानी होगी।
- (iii) किसी पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना/नगरीय निकाय अथवा आवासन मण्डल की योजना में आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड पर उक्तानुसार भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जानी होगी।

- (iv) अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी।
- (v) राजस्व ग्राम की आबादी के अन्तिम छोर से 500 मी. की परिधि क्षेत्र में ही उक्त उपयोग अनुज्ञेय होंगे, भूमि की स्थित 500 मी. की परिधि क्षेत्र से अधिक होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी।
- (vi) भूमि के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के संबंध में विवाद अथवा विलम्ब होने पर प्रकरण मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को तकनीकी अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावेगा।
- (vii) वर्तमान में समस्त शहरों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य प्रगति पर है। अतः तैयार किये जा रहे जोनल प्लान में उक्त अनुमोदनों को समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

  
 (भास्कर. ए.सावंत)  
 प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. दिशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
7. वरिष्ठ संयुक्त, विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त शासन सचिव-तृतीय